"गंगमूल" रजि न0 35 केएच दिनांक 30/01/1984

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

(आईएसओ 22000–2005 एण्ड एचएसीसीपी प्रमाणित संस्थान)

निविदा सूचना

संघ द्वारा विभिन्न शहरों, मण्डियों, कस्बों में वॉल/शॉप पेन्टिंग व डिजीटल पेन्टिंग करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र संघ कार्यालय हनुमानगढ़ से कार्यालय समय में दिनांक 06.03.2024 को दोपहर 1 बजे तक प्रति निविदा प्रपत्र 590 रूपए जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि दिनांक 06.03.2024 को दोपहर 2.30 बजे तक संघ कार्यालय (विपणन शाखा), हनुमानगढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे, जो कि उसी दिनांक 06.03.2024 को दोपहर 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे।

अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा खोलने की तय दिनांक को अवकाश/राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस को निविदा खोली जावेंगी।

अधिक जानकारी के लिए sppp.rajasthan.gov.in अथवा 77260–07316, 83878–70308, 98874–19649 पर सम्पर्क करें।

प्रबन्ध संचालक

क्रमांक/गंगमूल/विपणन/2024/ 11972-75 दिनांकः– 21.02.2024

प्रतिलिपीः–

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ0 लि0, जयपुर।
2. सम्पादक ....को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को आप अपने दैनिक हिन्दी पत्रिका में .... स्थान में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के लोगो सहित प्रकाशित करें।
3. प्रभारी लेखा/अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक/नोटिस बोर्ड।
4. प्रभारी (एमआईएस)– उपरोक्त निविदा सूचना को आरसीडीएफ0 लि0, जयपुर/संघ/एसपी पोर्टल वेबसाईट/अन्य दुग्ध संघों के ई–मेल पते पर अपलोड करावें।

प्रबन्ध संचालक

औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0–335512 (राज0), दूरभाष–01552–260588, 244288, E-mail:- mktgangmul@gmail.com

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: rcdfgng_jp1@bsnl.in

निविदा प्रपत्र संख्याः..............

1. कार्य का नाम :– **1. वॉल–शॉप पेन्टिंग कार्य, 2. डिजीटल वॉल पेन्टिंग कार्य।**

2. निविदादाता / फर्म का नाम :– ....

3. निविदादाता / फर्म का पता :– ....

....

4. दूरभाष / मो0 नं0 :– ....

5. ई–मेल आईडी :– ....

6. पॅन नं0 की छायाप्रति :– ....

7. जीएसटी की छायाप्रति :– ....

जमा करवाई गई राशि का विवरण

Sr.	Particular	Amount (Rs.)	C.R No./Date
1	Wall-Shop Painting EMD	15,000/-	
2	Digital Wall Painting EMD	4,000/-	
3	Form fee	590/-	

8. निविदा सूचना एवं निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त नियम व शर्तों को मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है जो मुझे बिना मेरी किसी शर्त के स्वीकार है, जिसके सहमति प्रमाण स्वरूप मैंने निविदा फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये हैं। निविदा कार्य अनुसारः

वॉल / शॉप पेन्टिंग की दर निम्नानुसार हैंः–

अः– दर अंकों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)
बः– दर शब्दों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)

नेगोसियेशन पश्चात दरः–

अः– दर अंकों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)
बः– दर शब्दों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)

डिजीटल वॉल पेन्टिंग की दर निम्नानुसार हैंः–

अः– दर अंकों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)
बः– दर शब्दों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)

नेगोसियेशन पश्चात दरः–

अः– दर अंकों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)
बः– दर शब्दों में ....प्रति वर्ग फुट (जीएसटी सहित)

21/02/24

हस्ताक्षर निविदादाता

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD
Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: rcdfgng_jp1@bsnl.in

–:निविदा प्रपत्र भरते समय ध्यान देने योग्य बातें:–

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा प्रपत्र निरस्त माना जावेगा:–

   अ– जीएसटी की प्रति।

   ब– निविदादाता के स्थाई निवास का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि की प्रति)।

2. बिना अमानत राशि के जमा करवाये गये निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होंगे। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. न्यनूतम दर वाले दो निविदादाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
4. दर स्वीकार न होने पर केवल अमानत राशि लौटाई जावेगी। निविदा प्रपत्र का शुल्क नहीं लौटाया जावेगा।
5. प्रबन्ध संचालक, गंगमूल न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
6. निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी जिस पर कार्य का नाम अंकित करना होगा। निविदा साफ शब्दों/अंको में भरी होनी चाहिए एवं किसी प्रकार की कांट–छांट पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। शब्दों व अंको की दर में अंतर पाये जाने पर शब्दों में लिखी दर को मान्यता दी जावेगी।
7. फैक्स/तार/ई–मेल आदि से भेजी गई निविदा मान्य नहीं होंगी।
8. **वॉल–शॉप पेंटिंग व डिजीटल पेंटिंग हेतु अलग–अलग न्यूनतम दरें स्वीकृत होंगी।**

हस्ताक्षर निविदादाता

वॉल–शॉप पेन्टिंग हेतु विवरण व शर्तें

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पॅन नं0 / जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं निविदादाता के स्थाई निवास का प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / राशन कार्ड आदि) की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
2. न्यनूतम दर वाले दो निविदादाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
3. दर स्वीकार न होने पर केवल अमानत राशि लौटाई जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क नहीं लौटाया जावेगा।
4. प्रबन्ध संचालक, गंगमूल न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
5. अनुबंध अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से **1 वर्ष** की होगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत दर अनुसार वर्तमान अनुबंध शर्तों ठेका अवधि आगामी **3 माह** तक आगे बढ़ाई जा सकेगी जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगी। निविदादाता को दर स्वीकृति उपरांत 500 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संघ के साथ अनुबंध करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा दी गई सभी दरें जीएसटी सहित होंगी। किसी भी प्रकार के टैक्स यदि देय हो तो उसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगा।
7. वॉल–शॉप पेन्टिंग की अनुमानित मात्रा **1 लाख वर्गफुट** होगी। पेन्टिंग का कार्य अनुमोदित मात्रा से 25 प्रतिशत कम या ज्यादा करवाया जा सकता है जो की अनुबंध अवधि में कार्यआदेश अनुसार अनुमोदित दर पर करना होगा।
8. सफल निविदादाताओं को स्वीकृत कार्य की कीमत की **5 प्रतिशत** राशि संघ में धरोहर राशि पेटे अग्रिम जमा करवानी होगी। निविदा के साथ जमा अमानत राशि का समायोजन धरोहर राशि पेटे कर दिया जावेगा। अमानत राशि / धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
9. वॉल–शॉप पेन्टिंग हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर दोनों जिलों के किसी भी शहर / मण्डी / कस्बे एवं पंजाब व हरियाणा के संघ कार्यक्षेत्र वाले शहर / मण्डियों में करवाई जा सकती है। किसी भी शहर / मण्डी में न्यूनतम 500 वर्ग फुट वॉल–शॉप पेन्टिंग करवाई जावेगी।
10. पेन्टिंग केवल उत्तम गुणवत्ता के ऑयल पेन्ट से ही की जावेगी। वॉल–शॉप पेन्टिंग के बिल के साथ की गई वॉल–शॉप पेन्टिंग के फोटोग्राफ संलग्न करने होंगे तथा की गई पेन्टिंग पर पेन्टिंग की दिनांक, नम्बर व साईज अंकित करना होगा।
11. कार्य आदेश अनुसार अवधि में वॉल–शॉप पेन्टिंग का कार्य पूर्ण करना होगा। वॉल / शॉप पेन्टिंग कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्य आदेश में दर्शाई जावेगी। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर न्यूनतम रू0 100 / – प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकेगा अथवा ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। किसी भी तरह की कटौति संघ में जमा धरोहर राशि अथवा बकाया बिलों से की जावेगी।
12. वॉल–शॉप पेन्टिंग का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संघ के अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कटौतियां करते हुए ही किया जावेगा। संघ द्वारा अनुमोदित की गई ड्रॉइंग के अनुरूप ही सुझाए गए स्थलों पर कार्य सम्पादित करना होगा। पेन्टिंग का कार्य अनुमोदित डिजायन अनुरूप नहीं करने अथवा निम्न स्तर का करने पर पुनः पेन्टिंग करनी होगी जिसके लिए पूर्व में की गई पेन्टिंग का किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. पेन्टिंग की एवज में किसी भी स्थान / दीवार का किराया संघ द्वारा देय नहीं होगा। राजकीय इमारतों / सार्वजनिक स्थानों / प्रतिबंधित स्थानों पर पेन्टिंग का कार्य नहीं किया जा सकेगा, अन्यथा समस्त खर्चे / हर्जे की एवं वैधानिक जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
14. वॉल–शॉप पेन्टिंग के अलावा कुछ स्थानों पर शटर की पेन्टिंग भी करवाई जा सकेगी जो निविदादाता को मान्य होगी।
15. स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर संघ में जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। निर्धारित अवधि में स्वीकृत दर पर पेन्टिंग कार्य नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
16. संघ में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी / संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा। निविदादाता नाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं होना चाहिए। निविदादाता न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी / दीवालिया करार नहीं होना चाहिए।
17. यदि निविदादाता के किसी भी कृत्य से संघ की साख / हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अनुबंध निरस्त कर निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा सकेगा तथा संघ में जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
18. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हनुमानगढ़ ही होगा। अनुबंधकर्ता को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर संघ की नोमिनल सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
19. अनुबंधकर्ता का किसी राजकीय / सहकारी विभाग में कार्यानुभव होना आवश्यक होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>डिजीटल वॉल पेन्टिंग हेतु विवरण व शर्तें</u>

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पॅन नं0 / जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं निविदादाता के स्थाई निवास का प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / राशन कार्ड आदि) की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
2. न्यनूतम दर वाले दो निविदादाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
3. दर स्वीकार न होने पर केवल अमानत राशि लौटाई जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क नहीं लौटाया जावेगा।
4. प्रबन्ध संचालक, गंगमूल न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
5. अनुबंध अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से **<u>6 माह</u>** की होगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत दर अनुसार वर्तमान अनुबंध शर्तों ठेका अवधि आगामी **<u>3 माह</u>** तक आगे बढ़ाई जा सकेगी जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगी। निविदादाता को दर स्वीकृति उपरांत 500 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संघ के साथ अनुबंध करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा दी गई सभी दरें जीएसटी सहित होंगी। किसी भी प्रकार के टैक्स यदि देय हो तो उसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगा।
7. डिजीटल वॉल पेन्टिंग की अनुमानित मात्रा **<u>10 हजार वर्गफुट</u>** होगी। पेन्टिंग का कार्य अनुमोदित मात्रा से 25 प्रतिशत कम या ज्यादा करवाया जा सकता है जो की अनुबंध अवधि में कार्यआदेश अनुसार अनुमोदित दर पर करना होगा।
8. सफल निविदादाताओं को स्वीकृत कार्य की कीमत की **<u>5 प्रतिशत</u>** राशि संघ में धरोहर राशि पेटे अग्रिम जमा करवानी होगी। निविदा के साथ जमा अमानत राशि का समायोजन धरोहर राशि पेटे कर दिया जावेगा। अमानत राशि / धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
9. डिजीटल पेन्टिंग हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर दोनों जिलों के किसी भी शहर / मण्डी / कस्बे के संघ कार्यक्षेत्र वाले शहर / मण्डियों में करवाई जा सकती है। किसी भी शहर / मण्डी में न्यूनतम 2000 वर्ग फुट वॉल–शॉप पेन्टिंग करवाई जावेगी।
10. डिजीटल वॉल पेन्टिंग 30 जीएसएम गेर पीवीसी मीडिया एक तरफ मल्टीकलर प्रिन्टिंग डिजयनिंग व पीछे पूरी शीट पर उत्तम गुणत्ता की गमिंग, विभिन्न साईज पानीसे खराब नहीं होने वाली शीट आवश्यक होगी।
11. कार्य आदेश अनुसार अवधि में डिजीटल वॉल पेन्टिंग का कार्य पूर्ण करना होगा। डिजीटल वॉल पेन्टिंग कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्य आदेश में दर्शाई जावेगी। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर न्यूनतम रू0 100 /– प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकेगा अथवा ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। किसी भी तरह की कटौति संघ में जमा धरोहर राशि अथवा बकाया बिलों से की जावेगी।
12. डिजीटल वॉल पेन्टिंग का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संघ के अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कटौतियां करते हुए ही किया जावेगा। संघ द्वारा अनुमोदित की गई ड्रॅाइंग के अनुरूप ही सुझाए गए स्थलों पर कार्य सम्पादित करना होगा। पेन्टिंग का कार्य अनुमोदित डिजायन अनुरूप नहीं करने अथवा निम्न स्तर का करने पर पुनः पेन्टिंग करनी होगी जिसके लिए पूर्व में की गई पेन्टिंग का किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. डिजीटल पेन्टिंग की एवज में किसी भी स्थान / दीवार का किराया संघ द्वारा देय नहीं होगा। राजकीय इमारतों / सार्वजनिक स्थानों / प्रतिबंधित स्थानों पर पेन्टिंग का कार्य नहीं किया जा सकेगा, अन्यथा समस्त खर्चे / हर्जे की एवं वैधानिक जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
14. स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर संघ में जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। निर्धारित अवधि में स्वीकृत दर पर पेन्टिंग कार्य नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
15. संघ में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी / संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा निविदा निरस्त करनें का अधिकार संघ को होगा। निविदादाता नाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं होना चाहिए। निविदादाता न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी / दीवालिया करार नहीं होना चाहिए।
16. यदि निविदादाता के किसी भी कृत्य से संघ की साख / हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अनुबंध निरस्त कर निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा सकेगा तथा संघ में जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
17. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हनुमानगढ़ ही होगा। अनुबंधकर्ता को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर संघ की नोमिनल सदस्यता प्राप्त करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता